



पत्रांक - 761 /02 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 20 /08 /2022

"कार्यालय ज्ञाप"

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में श्री किशोर सिंह पटवाल, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा को कार्यहित में उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट में तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह/—

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनसे प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/ उधमसिंहनगर (रूद्रपुर)।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट/खटीमा।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

20/08/2022




पत्रांक - 762/02 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 20/08/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में श्री मनोज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा को कार्यहित में उनके वर्तमान तैनाती कार्यालय से तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर में तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।



1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनसे प्राप्त अनुमोदन के क्रम में सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त/चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/उधमसिंहनगर (रूद्रपुर)।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर/खटीमा।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


20.8.2022
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

20/08/22



पत्राक - 763 / 02 व्यघ-सामान्य / 17

दिनांक 20/08/2022

"कार्यालय ज्ञाप"

निम्नलिखित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पारस्परिक स्थानान्तरण, प्रत्यावेदन के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 18 (3) एवं 05 के अन्तर्गत इन अभियन्ताओं का पारस्परिक स्थानान्तरण निम्नवत उनके सम्मुख अंकित खण्डों में निजिहित में किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रं सं	नाम	पदनाम	वर्तमान खण्ड	स्थानान्तरित तैनाती खण्ड	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगमोहन सिंह रावत	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	अधिनियम की धारा 18 (3) एवं (5) के अन्तर्गत पारस्परिक स्थानान्तरण
2.	श्री मुकेश रतूड़ी	अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हव-

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
- अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

12.08.2022